न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 76/2019 वाद
दायर दिनांक – 13/09/2019
निर्णय दिनांक – 18/02/2021

अनवान

1. नटवर लाल पिता टेकचन्द यादव निवासी खेतीखेडा (धनेरिया) तहसील रेलमगरा

वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रतिवादी

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं ईन्द्राज दुरस्ती के प्रस्तुत किया कि ग्राम धनेरिया, पटवार क्षैत्र धनेरिया , तहसील क्षैत्र रेलमगरा में वादी के सहखातेदारी के रूप में निम्न आराजीयात स्थित है–खाता सख्या 539 कि आराजी सख्या 3142/2328 रकबा 6 बिस्वा व खाता सख्या 466 कि आराजी सख्या 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349 कुल किता 08 कुल रकबा 18 बिघा 12 बिस्वा तथा खाता सख्या 465 कि आराजी सख्या 2423, 2424 कुल कितर 02 कुल रकबा 06 बिघा 18 बिस्वा , खाता सख्या 502 की आराजी सख्या 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466, 2467 कुल किता 13 कुल रकबा 21 बिघा 12 बिस्वा।उक्त आराजीयात में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में लटूर पिता टेकचन्द के नाम से दर्ज है। जबकि वादी का नाम लटूर नहीं होकर नटवरलाल है व वादी को नटवरलाल पिता टेकचन्द के नाम से ही जाना व माना जाता है। वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में नटवरलाल अंकन होना चाहिये था लेकिन नटवरलाल की जगह लटूर अंकन हो गया । क्योंकि जब वादी के पिता टेकचन्द जी की मृत्यु हुई व उनकी मृत्यू के पश्चात् जब नामान्तरकरण खोला गया तब सहवन से वादी का नाम नटवर लाल के बजाय लटूर दर्ज हो गया था जबकि वादी को नटवरलाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है तथा वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम नटवरलाल ही दर्ज है जिनमें वादी के नल कनेक्शन की डायरी , वादी की वृद्धावस्था पेंशन कार्ड, वादी का मुलनिवास , आधार कार्ड, बैंक की डायरी, राशनकार्ड, सभी में नटवरलाल पिता टेंकचन्द के नाम से ही वादी का नाम अंकन है तथा वादी के पुत्र सुरेश के दस्तावेजों में भी वादी का नाम सुरेश पिता नटवरलाल नाम दर्ज है। खातेदार लटूर पित टेकचन्द एवं वादी एक ही व्यक्ति है। इस नाम का और कोई व्यक्ति गांव धनेरिया (खेतीखेडा) में नहीं है। वादी को अभी अपनी जमाबंदियों की नकलो की आवश्यकता हुई उसमें पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में नाम सुधारने हेतु पटवारी हल्का को कहां तो वादी को मौखिक रूप से यह बताया गय कि यहां पर इस तरह से नाम नही सुधारा

जा सकता है। तहसील में जाना वहां तुम्हारा नाम सुधर जायेगा। इसके बाद वादी प्रतिवादी के यहां बार बार जाता रहा तो वादी का नाम नहीं सुधारा गया व आज से एक माह पुर्व अन्तिम बार वादी प्रतिवादी के यहां जाकर राजस्व अभिलेख में लटूर पिता टेकचन्द के बजाय नटवरलाल पिता टेकचन्द अपना नाम अंकन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए वादी को घोषणा राजस्व अभिलेख में सहीं अंकन व ईन्द्राज दुरूस्ती का वाद सहायक कलक्टर महोदय के न्यायालय में लगाना होगा । जिससे वादी के लिए यह आवश्यक हो गया हैं कि अपने नाम नटवरलाल पिता टेकचन्द को राजस्व अभिलेख में लटूर पिता टेकचन्द के बजाय दर्ज कराने व राजस्व अभिलेख में गंगाराम की बजाय बालुराम अंकन करवाने व इन्द्राज को दुरस्त कराने हेतु वाद प्रस्तुत करें। जिससे इस निमित वादी का यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात के अलावा अन्य दस्तावेजों में वादी का नाम सही अंकन है व वादी ने एक अन्य आराजीयात् आराजी सख्या 3249/2278 कालु पिता नानजी यादव से क्रय की उसमें भी वादी का सही नाम अंकन है जो नटवरलाल पित टेकचन्द ही है जबकि राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात में नटवरलाल पिता टेकचन्द के बजाय लटूर पिता टेकचन्द गलत अंकन है इस कारण वादी न तो इन भूमियों बाबत् कोई किसी प्रकार का रहन विक्रय आदी कर सकता है जिससे वादी के लिए उक्त वाद लाना ही आवश्यक हो गया है। वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को नाम सुधारने हेतु कहा व ईन्द्राज को दुरूस्त करने व राजस्व अभिलेख में सहीं अंकन करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया तब से अन्तिम बार वादी का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का वाद विरूद्ध राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदय के विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादी को लोन लेना आवश्यक होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वादीपत्र की कलम सख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादी का नाम लटूर पिता टेकचन्द है के बजाय घोषणा के जरिये राजस्व अभिलेख में नटवरलाल पिता टेकरचन्द अर्थात् वादी का नाम लटूर के बजाय नटवरलाल ईन्द्राज को दुरूस्त करते हुये राजस्व अभिलेखों में अंकन फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 रेकार्ड अनुसार स्वीकार है, कलम संख्य 02, 03 वादी स्वयं सिद्व करे तथा कलम संख्या 04, 06 कानूनी है। तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 1 एवं दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी एवं राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता डायरी, जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग डायरी, मुल निवास प्रमाण पत्र एवं बिजली के बिल की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी जिसमें वादी का नाम नटवरलाल अंकित है। वादी दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया ग्राम धनेरिया में स्थित कृषि आराजीयात जिसके खाता सख्या 539 कि आराजी सख्या 3142/2328 रकबा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

6 बिस्वा व खाता सख्या 466 कि आराजी सख्या 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349 कुल किता 08 कुल रकबा 18 बिघा 12 बिस्वा तथा खाता सख्या 465 कि आराजी सख्या 2423, 2424 कुल कितर 02 कुल रकबा 06 बिघा 18 बिस्वा , खाता सख्या 502 की आराजी सख्या 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2464, 2465, 2466, 2467 कुल किता 13 कुल रकबा 21 बिघा 12 बिस्वा हैं में अंकित वादी को लटूर पिता टेकचन्द के स्थान लटूर उर्फ नटवरलाल पिता टेकचन्द के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इसी अनुरूप अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा